रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122024-259478
CG-DL-E-17122024-259478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2024/अग्रहायण 26, 1946
No. 333] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2024/AGRAHAYAN 26, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2024

मामला सं. एडी(ओआई)-02/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैक्रिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की समाप्ति।

फा. सं. 6/02/2024-डीजीटीआर.––क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स ब्लू जेट हैल्थकेयर लिमिटेड (जिन्हें यहां "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया

है) के मूल की अथवा वहां निर्यातित “सैक्रिन” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया था।

2. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु की।

3. तद्नुसार, प्राधिकारी ने चीन जन.गण.के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “सैक्रिन” के आयातों से संबंधित संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/02/2024-डीजीटीआर दिनांक 26 मार्च, 2024 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संगत देश के दूतावास को सूचित किया।

5. प्राधिकारी ने दिनांक 26 मार्च, 2024 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी थी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।

7. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था।

8. जांच शुरुआत अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके प्राधिकारी को जवाब दिया।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

9. आवेदक ने दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के अपने पत्र द्वारा अपनी याचिका को यह बताते हुए नई जांच अवधि में उसे पुन: प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने का अनुरोध किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने “चीन जन.गण. के मूल के सैक्रिन के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच (मामला सं. सीवीडी 05/2018)" में मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. घरेलू उद्योग मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स और मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा उनके दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के ईमेल के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) का पाठ निम्नानुसार है:

जांच की समाप्ति *– निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि – (क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरु की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।*

11. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 ऐसी परिस्थितियों में जांच समाप्ति का प्रावधान करता है जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाए। नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरु की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

12. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग बनाने वाले मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स ब्लू जेट हैल्थकेयर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शुरु की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्राधिकारी के लिए ऐसी स्थिति में जांच समाप्त करना अपेक्षित है, यदि घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरु की गई थी, जांच को समाप्त करने का लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

ड. **निष्कर्ष**

13. घरेलू उद्योग मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स और मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध के मद्देनजर और नियमावली के नियम 14(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकारी एतदद्वारा चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'सैक्रिन' के आयातों से संबंधित अधिसूचना सं. 6/24/2023-डीजीटीआर दिनांक 26 मार्च 2024 के माध्यम से शुरु की गई जांच को समाप्त करते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2024

Case No.- AD(OI) – 02/2024

Subject: Termination of Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Saccharin" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/02/2024-DGTR.—A. Introduction

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred as the "Rules"), thereof, M/s Swati Petro Products Ltd. and M/s Blue Jet Healthcare Ltd. (hereinafter referred to as the "applicants"), filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Saccharin" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Authority, based on prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury submitted by the applicants, initiated an anti-dumping investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules.

3. The Authority accordingly issued a public notice vide notification no.-6/02/2024-DGTR dated 26 March 2024 published in the Gazette of India, initiating the subject investigation concerning imports of "Saccharin" originating in or exported from China PR.

B. Procedure

4. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

5. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 26 March 2024 to the embassy of the subject country, known producers/exporters from the subject country, known importers/users, and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

6. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

7. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

8. In response to the initiation notification and intimation, exporters/ producers from the subject country and importers/ users responded to the Authority by filing Questionnaire Responses.

C. Request Received from the Domestic Industry

9. The applicants vide their communication dated 10 December 2024, have sought withdrawal of their petition with the liberty to resubmit the same with a new investigation period stating that the Designated Authority has recommended continuation of existing countervailing duties in the "Anti-subsidy investigation concerning imports of Saccharin originating in the China PR (Case No. CVD 05/2018)".

D. Examination by the Authority

10. The request made by the domestic industry, M/s Swati Petro Products Ltd. and M/s Blue Jet Healthcare Ltd vide its email dated 10 December 2024 has been examined.

The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules reads as under:

> "*Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if - (a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.*"

11. It is noted that Rule 14 provides for termination of investigations including circumstances wherein the application is withdrawn by the domestic industry. Rule 14(a) of Rules provides that the Authority shall, by issue of a public notice terminate an investigation immediately if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.

12. The present investigation was initiated based on an application filed by M/s Swati Petro Products Ltd. and M/s Blue Jet Healthcare Ltd constituting the domestic industry. The Authority notes that Rule 14 (a) of the Rules requires the Authority to terminate the investigation, once the domestic industry, at whose instance the investigation was initiated files a written request for termination of the investigation.

E. Conclusion

13. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, M/s Swati Petro Products Ltd. and M/s Blue Jet Healthcare Ltd and under the provisions of Rule 14 (a) of the Rules, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide notification no. 6/24/2023-DGTR on 26 March 2024 concerning the imports of 'Saccharin' originating in or exported from China PR.

DARPAN JAIN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.17 21:15:46 +05'30'